संख्या-41/2019/321/35-3-2019-1(20)/2018

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर हेतु सी.सी.रोड एवं के.सी.डेन निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-118/2018/1315/35-3-2018-1(20)/2018 दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 में आंशिक संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-677, दिनांक27 फरवरी, 2019 में आपके द्वारा किये गये अनुरोध एवं उपलब्ध कराई गई सूचना के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपरोक्त विषयक जनपद-बलरामपुर में सी.सी.रोड के निर्माणहेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-118/2018/1315/35-3-2018-1(20)/2018 दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है:-

(लाख रू. में)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	प्रस्तावित धनराशि में केन्द्रांश 60 प्रतिशत	प्रस्तावित धनराशि में राज्यांश 40 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
		कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग			
पचपेड़वा	1	ग्राम पंचायत सोनहवा के मजरे नयेनगर/हटवा मेंसी.सी.रोड का निर्माणल. 350 मी.	18.88	11.33	7.55
		योग	**18.88**	11.33	**7.55**

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-118/2018/1315/35-3-2018-1(20)/2018 दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपरोक्त शासनादेश की शेष अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी ।
3- पूर्व में उपरोक्त परियोजना हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान में संशोधित वित्तीय स्वीकृति के अन्तर की धनराशि रू. 3.35 लाख को राजकोष में इसी वित्तीय वर्ष में जमा किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-41/2019/321(1)/ 35-3-2019-1(20)/2018 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त,उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी)इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, बलरामपुर।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।